(104)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 03/अपील/24 तारीख दायरा :01.01.2024

उनवान अपील

01. हुकमचन्द पुत्र श्री रामदयाल आयु 74 वर्ष
02. रमेशचन्द पुत्र श्री रामदयाल आयु 68 वर्ष
03. सुरेश पुत्र श्री रामदयाल आयु 59 वर्ष
04. पुष्पलता पत्नी सुरेश कुमार
05. राधाबाई पत्नी हुकमचन्द

जाति महाजन निवासी रायपुर जिला झालावाड़ राजस्थान अपीलार्थीगण

बनाम

01. अनिल कुमार पुत्र मोहनलाल जैन जाति जैन निवासी रायपुर जिला झालावाड़
02. गौरव कुमार पुत्र ज्ञानचन्द जैन जाति जैन निवासी रायपुर जिला झालावाड
03. मनोज कुमार शर्मा पुत्र योगेन्द्र शंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़
04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड़

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रायपुर दिनांक 25.10.2023 जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 4168 तस्दीक किया गया।

उपस्थितः श्री रामबाबू माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलान्ट

श्री शैलेन्द्र पोषवाल, रेस्पो0 01 लगायत 03

श्री घनश्याम शर्मा रेस्पो0 01 लगायत 03

सुश्री भगवती रेस्पो 03

–: निर्णय :– दिनांकः 29.05.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर की खाता संख्या 995 कुल किता 02 रकबा 1.4670 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 1077 कुल किता 05 रकबा 1.1751 हैक्टेयर आराजी स्थित है उक्त दोनों खातों की आराजीयात में नाबालिग आयुषी पालीवाल पुत्री लता संरक्षक सरपरस्त पिता प्रवीण कुमार 1/6 हिस्सा एवं कमलेश कुमार पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/6 एवं श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन का 1/6 हिस्सा गलत तौर से रामचन्द्र के निधन के बाद नामान्तकरण संख्या 3662 दिनांक 05.07.2021 को तस्दीक दर्ज हुआ है जबकि खातेदार रामचन्द्र पुत्र नारायण जाति महाजन निवासी रायपुर लगभग 63–64 वर्ष पूर्व राधाकिशन जाति महाजन निवासी गुराडिया (सोयत) तहसील सुसनेर तत्कालीन जिला शाजापुर म0प्र0 में गौद चले गये थे जिसके कारण दोनों खातों की आराजी से उनके अधिकार समाप्त हो गए है। प्रश्नगत आराजी अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपील में वर्णित आराजी का रामचन्द्र के जीवनकाल से कोई संबंध शेष नहीं रहा था इसलिए प्रश्नगत आराजी में नाबालिग आयुषि, कमलेश कुमार एवं श्यामलाल को उनके नामदर्ज आराजी में कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। इस कारण से अपीलार्थी 01 लगायत 03 ने उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के न्यायालय में वाद दायर कर रखा है। नाबालिग आयुषि, कमलेश कुमार एवं श्यामलाल ने दोनों खातों में अपने नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर 13.09.2023 को आराजी में उनका 1/6–1/6 हिस्सा रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 लगायत 03 को बेचान कर दिया जिसको शून्य कराने बाबत एक वाद माननीय सिविल न्यायालय झालावाड़ एवं एक वाद माननीय राजस्व

जिला कलक्टर झालावाड़

मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधी विरूद्ध तरीके से बैचान की गई आराजी का नामान्तकरण संख्या 4168 दिनांक 25.10.2023 को रेस्पों0 01 लगायत 03 कें पक्ष में बिना किसी तहकीकात के खोल दिया गया है जबकि प्रश्नगत आराजी पर रेस्पो0 01 लगायत 03 या आराजी का विक्रय किये जाने वाले विक्रेताओं का कोई कब्जा विवादित आराजी पर नहीं रहा है। इस संबंध में न्यायालयों में वाद लम्बित है। अपीलार्थीगण ने गलत तौर से विवादित आराजी का नामान्तकरण आयुषी ,कमलेश कुमार ,श्यामलाल द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण बनवाकर खुलवाने की वजह से एक एफआईआर संख्या 240 दिनांक 18.10.2023 भी दर्ज करा रखी है जिसमें अनुसंधान जारी है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट अपील स्वीकार की जाकर के अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2023 एवं नामान्तकरण संख्या 4168 ग्राम रायपुर अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, रेस्पो0 01 लगायत 03 की ओर से वकील श्री शैलेन्द्र पोषवाल, श्री घनश्याम शर्मा एवं रेस्पो 03 की ओर से वकील सुश्री भगवती का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली वास्ते बहस वकील अपीलार्थी में रखी गई।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों को दोहराया है जिनका उल्लेख अपील मीमों के अन्तर्गत किया गया है। वकील रेस्पोंडेण्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइटेशन 2022 (1) डीएनजे(रेवेन्यू) 139 फूलचन्द बनाम छोटीदेवी के पेरा 04 में तर्क दिया है कि विवादित आराजी पर बतौर खातेदार के विरूद्ध किसी सक्षम स्तर से बैचान करने पर कोई स्थगन प्रभावी नहीं था अतः अपने खातेदारी अधिकारों का जर्ये पंजीबद्ध बेचान करने पर विधि विरूद्ध नहीं कहा जा सकता है। वकील रेस्पो0 ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील पत्रावली के अवलोकन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं विवादित आराजी से संबंधित प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने से दायर की गई अपील खारिज किये जाने योग्य है।

वकील उभयपक्षकारों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन, अपील के संलग्न एवं दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित होता है कि विवादित प्रश्नगत आराजी के संबंध में खातेदार रामचन्द्र के निधन के उपरान्त खोले गए नामान्तकरण संख्या 3662 दिनांक 05.07.2021 जो उनके वारिसान के नाम विरासत से दर्ज हुआ उसके संदर्भ में वकील अपीलांट ने किसी भी तरह का उल्लेख अपनी बहस में और ना ही किसी तरह के दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत अपील में किया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट/वकील अपीलांट विवादग्रस्त आराजी के सम्बंध में Clean Hand से नहीं आये है। केवल रामचन्द्र के वारिसान द्वारा बैचान की गई आराजी जिसके वे विधिक तोर पर खातेदार एवं हकदार थे तथा रेस्पोंण्डेण्ट को पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर बैचान किया गया है तथा बैचाननामें के आधार खोले गए नामान्तकरण 4161 दिनांक 25.10.2023 को जो चुनौती दी गई है वह विधिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील रायपुर को भिजवाये जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

29.5

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़